न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/526

गेंदी लाल आत्मज श्री भैरूलाल गोदपुत्र स्व0 श्री कृष्ण जी जाति धाकड निवासी ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती देवबाई विधवा पत्नी श्री कृष्णजी जाति धाकड निवासी ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्रीमती राममूर्ति पत्नी श्री बद्री लाल जी नागर जाति धाकड निवासी क्वाटर नं0 125 आर.पी. एस. कॉलोनी, आरएसईबी अस्पताल के पीछे, रावतभाटा तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीनानाथ गावल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में 100 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के पति एवं वादिनी कम 2 के पिता श्री श्रीकृष्ण एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता श्री भैरूलाल जी के शामलाती खाते की भूमि थी । वादग्रस्त आराजी में भैरूलाल एवं श्री कृष्ण का बराबर हिस्सा था और उन्होंने उक्त भूमि का विभाजन कर लिया था जिसमें भैरूलाल जी के हिस्से व कब्जे में 50 बीघा भूमि आई तथा श्रीकृष्ण जी के हिस्से व कब्जे में 50 बीघा 16 बिस्वा भूमि आई । भैरूलाल जी ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 11 की 11 बीघा 02 बिस्वा भूमि श्री नन्दराम आत्मज कालूराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से

बेचान कर कब्जा संभला दिया । प्रतिवादी कम 1 गेंदी लाल ने श्री कृष्ण जी की भूमि में उसका कोई अधिकार नहीं होते हुए भी श्रीकृष्ण जी के खाते की भूमि में सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर श्रीकृष्ण जी के साथ अपना 1/2 हिस्सा गलत तौर पर दर्ज करवा लिया जबकि न तो सेटलमेंट अधिकारियों को इस प्रकार गेंदी लाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कोई अधिकार था और न ही प्रतिवादी कम 1 को ही सेटलमेंट अधिकारियों से भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार था । उक्त इन्द्राज कानूनी तौर पर अवैध होने से वादीगण के विरूद्ध बेअसर है । वादिनी कम 1 देव बाई श्री श्रीकृष्ण जी की विवाहिता पत्नी है । श्रीकृष्ण जी के देहान्त तक वादिनी कम 1 देवबाई श्रीकृष्ण के साथ बहैसियत धर्म पत्नी रही थी तथा श्रीकृष्ण के नुत्फे से ही वादिनी कम 1 वादिनी कम 2 लडकी पैदा हुई । इस कारण वादिनी कम 1 देवबाई पत्नी होने से एवं वादिनी कम 2 राममूर्ति पुत्री होने से श्रीकृष्ण जी के वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं । श्रीकृष्ण ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी कम 1 को कभी गोद नहीं लिया और न ही दिनांक 07.11.88 को कोई गोदनामा लिखकर पंजीयन करवाया । प्रतिवादी कम 1 राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में मजाहमत करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या 6 में अंकित ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 25 की 3.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 की 0.47 हैक्टर भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि में वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में न तो स्वयं मजाहमत व मदाखलत करें और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । दौराने दावा यदि प्रतिवादी कम 1उक्त भूमि पर कब्जा कर लेवे या प्रतिवादी कम 1 का कब्जा होना पाया जावे तो प्रतिवादी कम 1 को उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर वादीगण को उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 01 व 2 वादीगण के पक्ष में तय करने में भारी त्रुटि की है जबकि यह प्रमाणित हो गया था कि देवबाई श्रीकृष्ण जी की पत्नी नहीं है और न ही वादी कम 2 राममूर्ति उसकी पुत्री है । वादग्रस्त आराजी से वादीगण का न तो सम्बन्ध है और ही उनका कब्जा है । गोद का प्रश्न सिविल न्यायलाय ही तय कर सकता है फिर भी क्षेत्राधिकार से परे जाकर तनकी नं0 03 वादीगण के पक्ष में तय की गई है । दावा अवधि बाधित है । अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत गोदपत्र, हक त्यागपत्र, वसीयत है । साक्ष्य की विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादिनी कम 1 श्रीकृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है, वादी कम 2 उनकी पुत्री नहीं है । श्रीकृष्ण ने दिनांक 07.11.1988 को अपीलान्ट प्रतिवादी के पक्ष में गोदनामा लिखकर पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत करवाया था जिसमें वादिनी कम 01 ने सहमति दी थी । इस प्रकार वादिनी को इस गोदनामा को चुनौती देने का अधिकार नहीं है । श्रीकृष्ण जी ने प्रतिवादी अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 04.11.1991 को एक वसीयत आलेखित करवा कर उसे उप पंजीयन कोटा के यहॉ रजिस्टर्ड करवा लिया था । श्री कृष्ण जी ने अपने हिस्से 1/2 की आराजी जरिये पंजीकृत रिलीज डीड से अपीलान्ट के पक्ष में रिलीज कर रिलीज डीड पंजीकृत करवा दी जब से ही अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी खातेदार कृषक चला आ रहा है । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 15.04.99 से भी प्रतिवादी अपीलान्ट खातेदार कृषक चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में 16 तनकीयात कायम की थी वकीलों की हडताल के दौराने बिना बयानों एवं साक्ष्य की विवेचना किये मनमाने तौर पर दावा डिक्री करते हुए वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी कहा है कि गोद के बिन्दु को तय करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को बनता है फिर भी इस बिन्दु को वादीगण के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। गोदनामा वर्ष 1988 में लिखा गया था । वाद उसके 10 वर्ष बाद पेश किया गया था, वाद अवधि बाधित था । देवबाई श्रीकृष्ण जी पहली पत्नी नहीं है और न ही राममूर्ति उसकी पुत्री है गोद पिता श्रीकृष्ण ने अपने जीवनकाल में 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में खुलवाया था ओर शेष 1/2 हिस्से का हक त्याग निष्पादित किया गया था । इस हक त्याग पत्र को श्रीकृष्ण जी ने कभी चुनौती नहीं दी । श्रीकृष्ण जी ने दिनांक 04.11.1991 को एक पंजीकृत वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी जिसको साबित किया गया था जिसकी वैधता को सिविल न्यायालय ही तय कर सकता था फिर भी तनकी नम्बर 12 अपीलान्ट के खिलाफ तय की है । श्रीकृष्ण ने कभी न तो गोदनामे को चैंलेंज किया और न ही कभी हक त्याग को चैलेंज किया । गोदनामे को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है । इन सब तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है । नामान्तरकरण के बाबत् उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है जिसकी अनदेखी करन निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट वादिनी ने धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय पारित किया है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने हमारा कब्जा मानते हुए प्रथम अपील को स्वीकार किया है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा 700/– रूपये प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश हमारे पक्ष में किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर वादीगण का कब्जा मान लिया है । वादग्रस्त आराजी वर्ष 1991 से अपीलान्ट के कब्जे में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में एआईआर 1997 पेज 261, आरआरडी 1996 पेज 119, एआईआर 1965 (एससी) पेज 338, 2003 सीडीआर पेज 269, 2016 सीजे पेज 2015 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि देवबाई श्रीकृष्ण की विवाहिता पत्नी है । नाताशुदा पत्नी को भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार समस्त

अधिकार प्राप्त होते हैं । राममूर्ति श्रीकृष्ण की पुत्री है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दोनों ही श्रीकृष्ण की विधिक वारिस हैं । जवाबदावे में वादीगण को पत्नी एवं पुत्री स्वीकार किया है । गेंदीलाल ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि वादिनी क्रम 1 श्रीकृष्ण जी की नाताशुदा पत्नी है । गोदनामा विधिक नहीं है क्योंकि गोदनामा में गेंदी लाल की उम्र 33 वर्ष अंकित है और उस समय वो विवाहित था । यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है । बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के वादग्रस्त आराजी में गेंदीलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है । इस गलत इन्द्राज के आधार पर गेंदीलाल को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार नहीं बनता है । रिलीज डीड एक सहखातेदार द्वारा ही दूसरे सहखातेदार के पक्ष में लिखी जा सकती है जबकि गेंदीलाल सहखातेदार नहीं था तो उसके पक्ष में लिखी गई रिलीज डीड अवैध है । जब वसीयत सम्पूर्ण सम्पत्ति की नहीं हो सकती और वसीयत साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं है । गेदीलाल स्वयं को श्रीकृष्ण का गोदपुत्र बताता है ओर उधर उन्होंने अपने पिता की सम्पत्ति में भी अधिकार प्राप्त किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादीगण का वाद स्वीकार किया है । उभय पक्षकारान ने लिखित बहस पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.08.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस न्यायालय के निर्णय की प्रति दिनांक 05.01.2004 संलग्न है जिसके अनुसार अपीलान्ट प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त आराजी के लिए वादीगण के पक्ष में जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया है । पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 04 किता की 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि भैरूलाल पुत्र मन्ना के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 2 संलग्न है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 3 जिसके अनुसार खसरा नम्बर 317 की 05 बीघा भूमि कुआ सिंचाई के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके अनुसार 05 किता की 45 बीघा भूमि भैरूलाल के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 प्रदर्श– 5 पेश की है जिसके अनुसार 50 बीघा 16 बिस्वा भूमि श्री श्रीकृष्ण पुत्र मन्ना के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 प्रदर्श– 6 संलग्न है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 11 की रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा भूमि नन्दराम पुत्र बालूराम के खातेदारी में दर्ज है । जमाबन्दी प्रदर्श– 7 संलग्न है जिसके अनुसार 12 किता की नया खाता संख्या 12 में 4.38 हैक्टर आराजी गेंदीलाल, घनश्याम, रामप्रसाद पुत्र भैरूलाल के नाम हिस्सा बरा0 खतेदारी में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 47 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 9 संलग्न है जिसके अनुसार भैरूलाल द्वारा खसरा नम्बर 11 की रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा आराजी विक्रय के आधार पर भैरूलाल के खाते दर्ज की गई है । प्रदर्श– 10 नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रति है । प्रदर्श– 11 बन्दोबस्त विभाग के द्वारा जारी पर्चा खतौनी है । कुछ दस्तावेजात जिन्हें प्रदर्श करवाये बिना संलग्न किया गया है वो नकल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1999 की प्रमाणित है जिसमें गेंदीलाल की अपील को स्वीकार किया गया है ।

10. पत्रावली में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.09.2002 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 22.01.1997 को निरस्त किया गया है । पत्रावली पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 19.06.2006 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार गेंदी लाल को वादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से पर कब्जा

बनाये रखने हेतु 700/– रूपये प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने के आदेश दिये गये थे ।

11. पत्रावली में असल गोदनामा प्रदर्श– डी–1, असल इच्छा पत्र प्रदर्श– डी– 2 असल त्याग पत्र प्रदर्श डी – 3 पेश किये गये हैं।

12. वादी की ओर से बयान देवबाई वादिनी के कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादीकी ओर से बयान गेंदीलाल डीडब्ल्यू– 1, हेमराज नागर डीडब्ल्यू– 2, रामपाल डीडब्ल्यू–3, मोहनलाल डीडब्ल्यू– 5, भागचन्द डीडब्ल्यू–6, कस्तूरी बाई डीडब्ल्यू–7 कराये गये हैं ।

14. इसके अलावा पत्रावली पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 03.05.2012 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है ।

15. वादीगण द्वारा यह दावा बाबत् हक, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया है कि वह श्रीकृष्ण की वारिस हैं । अपीलान्ट के द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वादिनी श्रीकृष्ण के विवाहिता पत्नी नहीं है और वादिनी कम 2 उनकी पुत्री नहीं है । अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह भी कथन किया है कि श्रीकृष्ण के द्वारा उनको गोद लिया गया था उनके पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित किया था और उनके पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्यागपत्र एवं वसीयत भी निष्पादित की है । इस कारण वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कोई अधिकार निहित नहीं हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खोला गया नामान्तरकरण के विषय में भी पक्षकारान के मध्य कई प्रकरण लम्बित रहे हैं ।

16. इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में हक, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया है और तनकी नम्बर 6 एवं 8 में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का माना है । यह कब्जा अधीनस्थ न्यायालय ने अवधारणा के आधार पर माना है । कब्जे के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में पेश दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.01.2004 में कब्जा प्रतिवादी अपीलान्ट का माना जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण में पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया है माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.06.2006 में अपीलान्ट गेंदीलाल को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बनाये रखने हेतु 700/– रूपये प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष के हिसाब से 2/3 हिस्से पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने के निर्देश दिये हैं । ऐसी स्थिति में इस तनकी का निष्कर्ष निकालने के लिए पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना कर विधि सम्मत निष्कर्ष निकालना आवश्यक है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निणय त्रुटिपूर्ण है ।

17. इस प्रकरण में दसूरा महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने अपील यह भी कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14566/11 में अपने आदेश दिनांक 19.10.2011 से उभय पक्षकारान को यथास्थिति

बनाये रखेन के आदेश दिये हैं और विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस यह भी कथन किया है कि यह स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है । माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका अभी लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.01.2019 नियत है । इस स्थगन आदेश को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । इस क्रम में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा पेश किये गये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2011 रिट याचिका संख्या 14566/11 का अवलोकन किया – जिसमें पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं और नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में भी तहसीलदार द्वारा यह नोट अंकित किया गया है । ऐसी स्थिति में जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश से पाबन्द किया गया है तो हमारे विचार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश स्थायी निषेधाज्ञा के प्रभावी रहने के दौरान इस प्रकरण में कोई निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि किसी भी पक्षकार के पक्ष में यदि निर्णय पारित होता है तो उसकी अनुपालना में रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आवेगा ।

18. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश की अनुपालना में ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के परिप्रेक्ष्य व पैरा नम्बर 16 में किये गये विवेचन के अनुसार त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 16 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के परिप्रेक्ष्य में, यथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में ही नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा